"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 जनवरी 2012—पौष 27, शक 1933

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-28/गृह-दो/2009.—"रायपुर स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000" के अध्याय-चार, नियम-13 के उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(3) नक्सल प्रभावित क्षेत्र के माननीय विधायक गणों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से यदि जिला दण्डाधिकारी जिला मुख्यालय या उनके विधान सभा क्षेत्र के किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर आवासगृह उपलब्ध कराया जाना आवश्यक समझते हों तो उन्हें नि:शुल्क शासकीय आवासगृह, विधायक कार्यकाल तक के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा. यदि प्रस्तावित स्थान पर शासकीय आवास उपलब्ध न हो तो शासन द्वारा स्वीकृत दर पर मासिक किराये पर निजी आवासगृह उपलब्ध कराया जा सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एन. उपाध्याय, सचिव/ओ.एस.डी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.